<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 07.11.2022</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

<u>थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त अंकित मौर्या को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.11.2022 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 284/22 धारा 457/380 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अंकित मौर्या पुत्र रघुनाथ निवासी कोशाही बेलराया थाना तिकुनिया जनपद खीरी के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना तिकुनिया पर मु0अ0सं0 286/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>
अंकित मौर्या पुत्र रघुनाथ निवासी कोशाही बेलराया थाना तिकुनिया जनपद खीरी

<u>बरामदगीः-</u>
01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर
01 अदद जिंदा कारतूस

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>
1. उ0नि0 बलराम सिंह, थाना तिकुनिया
2. हे0का0 रामवीर सिंह
3. का0 राहुल कुमार

<u>**थाना फरधान पुलिस द्वारा, 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.11.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा परिवाद सं0 10/2019 धारा 354/323/504/452/506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में 01 नफर वारण्टी अभियुक्त छोटे पुत्र बांके नि0ग्राम अन्डू थाना फरधान जनपद खीरी व केस नं0 237/10 अ0सं0 1284/19 धारा 2/3 यूपी गैगस्टर एक्ट में वारण्टी अभियुक्त राजकुमार पुत्र भारत प्रसाद नि0ग्राम जमैठा पुरवा थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-**</u>

1. छोटे पुत्र बांके नि0ग्राम अन्डू थाना फरधान जनपद खीरी,
2. राजकुमार पुत्र भारत प्रसाद नि0ग्राम जमैठा पुरवा थाना फरधान जनपद खीरी

<u>**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**</u>

1. उ0नि0 देवकरण शर्मा, थाना फरधान
2. का0 धर्मेन्द्र कुमार
3. का0 शैलेन्द्र कुमार

थाना फरधान पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त लालराम पुत्र श्रीपाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.11.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 496/2022 धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी अधिनियम में 01 नफर वांछित लालराम पुत्र श्रीपाल नि0ग्रा0 रन्छोरपुर थाना फरधान जनपद खीरी को मोहम्मदी मार्ग पर लोहिया पुल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

लालराम पुत्र श्रीपाल नि0ग्रा0 रन्छोरपुर थाना फरधान जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अनूप कुमार मिश्रा, थाना फरधान
2. का0 सुनील कुमार

<u>जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत बिना फिटनेस, बिना प्रदूषण,बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर एलआरपी चौराहा, ओयल कस्बा के पास यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के संयुक्त रूप से एआरटीओ श्री रमेश चंद्र चौबे एआरएम खीरी यातायात प्रभारी निर्मलजीत यादव मय पुलिस बल के चेकिंग की गई, महेवागंज में स्कूली बच्चों एवं आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में म्यूजिक के माध्यम से एवं पंपलेट देकर जानकारी एवं जागरूक किया गया तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें स्टंट बाइकिंग से बचे हैं काली फिल्म हूटर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें गलत दिशा में ना चले इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें एवं रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं यातायात नियमों के अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद् मोटर यान अधिनियम के तहत कुल 172 वाहनों का चालान 02 मैजिक 03 विक्रम 02 ऑटो 05 पिकप बिना फिटनेस के पाए जाने पर सीज किए गए हैं।

<u>थाना भीरा पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त रामासरे पुत्र सरजू को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.11.2022 को थाना भीरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 612/2022 धारा 452/323/324/504/506/427 भादवि0 में वाँछित 01 नफर अभियुक्त रामासरे पुत्र निवासी ग्राम बीबीपुर थाना भीरा जनपद खीरी को भवानीपुर चौराहा से गिरफ्तार का गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>
रामासरे पुत्र सरजू निवासी ग्राम बीबीपुर थाना भीरा जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>
1. उ0नि0 परितोष पाण्डेय,थाना भीरा
2. का0 विशाल कुमार
3. का0 घनश्याम

थाना पसगवां पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी जोगेन्द्र सिंह पुत्र कन्धई को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय मोहम्मदी के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07.11.2022 को उ0नि0 विशाल सिंह मय हमराह का0 कुलदीप सिंह थाना पसगवाँ जनपद खीरी पुलिस बल द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह पुत्र कन्धई निवासी किशनपुर अजीत थाना पसगवां जनपद खीरी को ग्राम किशनपुर अजीत थाना पसगवां जनपद खीरी से गिरफ्तार किया गया। जिसका चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र कन्धई निवासी किशनपुर अजीत थाना पसगवां जनपद खीरी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 विशाल सिंह थाना पसगवां जनपद खीरी
2. का0 कुलदीप सिंह थाना पसगवां जनपद खीरी

थाना खीरी पुलिस द्वारा, वांछित 03 नफर अभियुक्तों के कब्जे से अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 542/22 धारा 3/5/8 गोबध नि0अधि0 में वांछित अभियुक्तगण 1. रफी पुत्र मुन्ना, 2. रफीक पुत्र मुन्ना निवासीगण मो0 तबेला थाना खीरी, 3. नफीस पुत्र रफीक निवासी सैय्यदबाड़ा थाना व जनपद खीरी के कब्जे से 02 अदद चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना खीरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 210 लीटर अवैध शराब बरामद कर 13 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **210 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **05 शराब भट्टी** बरामद कर **13 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **13 अभियोग** पंजीकृत किए गए।